NBW PAPER
THE NEWS BEHIND THE WORLD
Monday 27 October 2025

ताज़ा खबर

बीसी की लापरवाही से आरोप सिद्ध में एडवोकेट जनरल ने दायर की याचिका, हिट हुए दिग्गजों को नोटिस

मंत्रालय के पूर्व सलाहकार हरिप्रसाद और पूर्व सचिव अनिल कुमार को हाई कोर्ट ने दोषी ठहराया था। मामला वर्ष 2008 में दर्ज किया गया था। हरिप्रसाद पर आरोप था कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कुछ निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। अनिल कुमार पर आरोप है कि उन्होंने इन कंपनियों के टेंडर को मंजूरी दी थी। 2 जनवरी 2025 को विशेष न्यायालय ने दोनों को 3 साल की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने अपील में सजा को बरकरार रखा।

विद्युत भूमिगतीकरण परियोजना में अनियमितता, 3 अधिकारी निलंबित, विजिलेंस जांच शुरू

विद्युत भूमिगतीकरण परियोजना में अनियमितता के आरोप में निलंबित अधिकारी। मुख्य अभियंता (विद्युत) विनोद कुमार सक्सेना, अधीक्षण अभियंता (परियोजना) श्रीमती रेखा अग्रवाल और कार्यपालन अभियंता (निर्माण) अजय कुमार तिवारी को निलंबित किया गया है। तीनों पर आरोप है कि उन्होंने ठेकेदार फर्म मेसर्स शिवम इलेक्ट्रिकल्स को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए टेंडर शर्तों में बदलाव किया। इससे परियोजना की लागत 12 करोड़ रुपये बढ़ गई। विजिलेंस जांच शुरू हो गई है। अधिकारियों ने कहा कि दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

और पढ़ें

पंचायत भवन की छत गिरने से 3 की मौत, 5 घायल मंत्री ने दिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश, मुआवजा घोषित

पंचायत भवन के मलबे में फंसे लोगों को निकालते ग्रामीण और बचाव दल के जवान। गुरुवार को पंचायत भवन की छत गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब ग्राम पंचायत की बैठक चल रही थी। मृतकों में 2 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंत्री ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये मुआवजा घोषित किया गया है।

और पढ़ें

मेरे पति की मौत के बाद मैं गुमसुम हो गई थी, सोशल मीडिया ने मुझे दिखाई नई राह